Statement

Year	Allocation of funds	State covered	No. of Madarsas assisted	Amount given	Remarks
1992-93	Nil (Scheme introduced in 1993-94)	Nil	Nil	Nil	Nil
1993-94	Rs. 25.00 lakhs (B.E.)	(i) U.P. (ii) M.P. (iii) Haryana	10 7 5	Rs. 3,04,000/- Rs. 2,12,800/- Rs. 1,52,000/-	Amount sanctioned to Govt. of M.P. and Haryana in 1993-94 could not be drawn by the State Governments and was sanctioned again in 1994-95.
1994-95	Rs. 33.00 lakhs	(i) U.P. (ii) M.P. (iii) Haryana	29 7 5	Rs. 8,35,200/- Rs. 2,12,800/- Rs. 1,52,000/-	

तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं का नामांकन

2909. श्री इकबाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में और विशेषकर पंजाब में उच्च व तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं के नामांकन की राज्यवार एवं संस्था-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1994-95 में देश की उक्त संस्थाओं में महिलाओं के नामांकन की संख्या कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) देश में महिलाओं के लिए तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) (क) से (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित महिलाओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) वर्ष 1994-95 के संबंध में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है । महिलाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को निशुल्क बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 1993-94 के दौरान उच्च तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं का नामांकन
1.	पंजाब	73413
2.	आंध्र प्रदेश	85386
3.	अरूणाचल प्रदेश	592
4.	असम	45820
5.	बिहार	94284
6.	गोवा	8104
7.	गुजरात	170113
8.	हरियाणा	44753
9.	हिमाचल प्रदेश	8275
10.	जम्मू और कश्मीर	15366
11.	कर्नाटक	114694
12.	केरल	67953

1	2	3
13.	मध्य प्रदेश	74817
14.	महाराष्ट्र	272129
15.	मणिपुर	9642
16.	मेघालय	3296
17.	मिजोरम	1632
18.	नागालैण्ड	1113
19.	उड़ीसा	29181
20.	राजस्थान	39063
21.	सिक्किम	327
22.	तमिलनाडु	95038
23.	त्रिपुरा	4243
24.	उत्तर प्रदेश	122570
25.	पश्चिम बंगाल	135666
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	843
27.	चंडीगढ़	7389
28.	दादरा और नागर हवेली	0
29.	दमनदीव	357
30.	दिल्ली	59300
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	3387

कलाकारों को दी गई सहायता

2910. **श्री शंकरदयाल सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभावग्रस्त साहित्यकारों तथा कलाकारों की मदद करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत किन-किन साहित्यकारों अथवा कलाकारों को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी हां ।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कला-क्षेत्रों के वे सृजनात्मक व्यक्ति केन्द्रीय और केन्द्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अंतर्गत अलग-अलग वित्तीय सहायता दिए जाने की लाभत विचारार्थ पात्र होते हैं जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक और जिनकी मासिक आय 1,000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो । केन्द्रीय कोटा श्रेणी के अंतर्गत चयनित कलाकारों के मामले में 1500/- रुपये प्रतिमाह की पूंजी राशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही कलाकार को प्रदान की जाती है । केन्द्र-राज्य/संघ शासित क्षेत्र कोटा के अंतर्गत चयनित कलाकारों को दी जाने वाली उक्त सहायता केन्द्र और संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार द्वारा क्रमश: 2 : 1 के अनुपात में प्रदान की जा रही है । पिछले एक वर्ष के दौरान यह वित्तीय सहायता 1500/- रुपये प्रतिमाह की दर से 73 कलाकारों को प्रदान की गई । इनमें से 33 कलाकारों को केन्द्र-राज्य कोटा के अंतर्गत तथा 40 कलाकारों को केन्द्रीय कोटा के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है, जैसा कि संलग्न सूची में दिया गया है ।

विवरण

1. श्री एम. एस. सेशाप्पा
2. श्री मनिक राव रायचुरकर
3. श्री एम. आर. रंगास्वामी
4. श्री चन्द्रशेखर पी. पुर्गिकुराता
5. श्री नारायण राव मजूमदार
6. श्री देव दत्त
7. श्री आर. एम. मुसलगांवकर
8. श्री कुमारी वी. कोइलूरकर
9. श्री सेशानारायण
10. डा. के. एस. नरसिम्हास्वामी
11. श्री बापूराव विभूते
12. श्री एन. पी. सुकुमारन